

श्री निरंजन कुमार, संयुक्त सचिव, खेल विभाग की अध्यक्षता में दिनांक—
29.04.2026 (बुधवार) को अपराह्न 02:30 बजे से खेल अवसंरचनाओं के
निर्माण की प्रगति की समीक्षा हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सम्पन्न
बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

1. श्री राजन कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, खेल विभाग।
2. श्री सिद्धांत कुमार, अवर सचिव, खेल विभाग।
3. श्री अजय कुमार, अवर सचिव, खेल विभाग।
4. जिला खेल पदाधिकारी/उपाधीक्षक, शा0शि0 (VC के माध्यम से) बिहार।

कार्यवाही

सर्वप्रथम संयुक्त सचिव, खेल विभाग द्वारा सभी उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मियों का स्वागत किया गया। तदोपरान्त खेल क्लब के गठन, पंचायत स्तरीय खेल मैदान, प्रखंड स्तरीय आउटडोर स्टेडियम, प्रमंडल स्तरीय खेल अवसंरचना निर्माण एवं जिला स्तरीय खेल भवन—सह—व्यायामशाला से संबंधित अद्यतन जानकारी प्राप्त की गई।

सभी उपस्थित जिला खेल पदाधिकारी/उपाधीक्षक, शा0शि0 द्वारा अद्यतन विस्तृत जानकारी दी गई तथा कतिपय समस्याओं से संयुक्त सचिव, खेल विभाग को अवगत कराया गया। तदोपरान्त संयुक्त सचिव द्वारा बिन्दुवार निदेश दिये गये जो निम्नवत है:—

I. खेल क्लब के गठन

राज्य के सभी जिलों के नगर/ग्राम पंचायतों में खेल क्लब का गठन करा लिया गया है तथा सभी जिलों से खेल क्लब के पदधारकों के साथ मीटिंग कर सुझाव उपलब्ध कराया गया है। एक सप्ताह के अंदर मार्गदर्शिका तैयार कर इसे अंतिम रूप दिये जाने का निदेश दिया गया।

29.4.26

(क) खेल क्लब को क्रियाशील बनाने के संबंधित निम्न निदेश गया है-

(i) सभी ग्राम पंचायतों के खेल क्लब में खेल गतिविधि संचालित करने हेतु Viksit Bharat - Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission - Gramin (मनरेगा) योजना के तहत निर्मित खेल मैदान चिन्हित किया जाय। जिन पंचायतों में जमीन उपलब्ध है और कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, वहाँ संबंधित पदाधिकारी के साथ बैठक कर कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित किया जाय।

(ii) खेल क्लब को क्रियाशील करने हेतु नजदीक के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षक को चिन्हित कर खेल क्लब में जोड़ा जाय। यदि उक्त विद्यालय में सरकारी शिक्षक उपलब्ध नहीं हो तो निकटतम विद्यालय के सरकारी शारीरिक शिक्षक को जोड़ा जाय। संयुक्त सचिव, खेल विभाग द्वारा निदेशित किया गया कि टैगिंग का कार्य अगले शुक्रवार तक पूर्ण कराने के पश्चात् विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने तथा जिलों को स्मार पत्र भेजने का निदेश दिया गया। इस संबंध में मार्गदर्शिका तैयार किया जाना है।

II. MIS Module (App) – पंचायत/प्रखंड/जिला/प्रमंडल स्तरीय एवं अन्य निर्मित/निर्माणाधीन खेल अवसंरचनाओं की विवरणी फोटो सहित विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु सभी जिला खेल पदाधिकारी एवं उपाधीक्षक, शा0शि0 बिहार को निदेशित किया गया है। अबतक 6142 खेल अवसंरचनाओं का विवरण जिलों द्वारा विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

समीक्षा के क्रम में पूर्ण/स्वीकृत/निर्माणाधीन एवं खेलो इंडिया योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार की योजना का पूर्ण विवरण साप्ताहिक जाँच एवं **अद्यतन फोटोग्राफ** भी **प्रत्येक सप्ताह** अपलोड किये जाने का निदेश सभी जिला खेल पदाधिकारी एवं उपाधीक्षक, शा0शि0 बिहार को पूर्व में दिया गया है। सभी जिलों को निदेशित किया गया कि प्रत्येक सप्ताह निश्चित रूप से जाँच/अद्यतन स्थिति की **Entry MIS Portal** पर करना सुनिश्चित करेंगे।

III. मल्टी/ओपेन जिम एवं खेल उपकरण

वित्तीय वर्ष 2026-27 में खेल एवं जिम उपकरण मद में कुल राशि ₹ 10 करोड़ प्राप्त हुआ है। सभी जिला को जिम उपकरण अधिष्ठापन हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु पत्र भेजने का निदेश दिया गया।

IV. एकलव्य प्रशिक्षण केन्द्र का आवंटन/व्यय विवरणी

वर्तमान में 64 एकलव्य प्रशिक्षण केन्द्रों में से 27 एकलव्य प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन हो रहा है एवं 15 एकलव्य प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची की माँग करने हेतु बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

प्रत्येक सप्ताह एकलव्य प्रशिक्षण केन्द्र का भौतिक निरीक्षण तथा निरीक्षण प्रतिवेदन MIS Portal पर अपलोड करेंगे। इस हेतु संबंधित सभी जिला खेल पदाधिकारी को पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

V. पंचायत स्तरीय खेल मैदान

(क) पंचायत स्तरीय खेल मैदान हेतु गया जिला से 02 एवं अरवल जिला से 02 पंचायतों का प्रस्ताव अप्राप्त है। इस हेतु जिला पदाधिकारी गया एवं अरवल को स्मार पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

(ख) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पंचायत स्तरीय खेल के मैदान हेतु न्यूनतम भूमि एवं खेलों की संख्या में बदलाव करते हुए शेष बचे पंचायतों को भी खेल मैदान से अच्छादित करने हेतु सभी जिला खेल पदाधिकारी को निदेशित किया गया है कि अपने जिला के उप विकास आयुक्त के माध्यम से इस संबंध में ससमय बैठक कराते हुए जिन पंचायत से खेल का मैदान नहीं बना है, वहाँ जमीन चिन्हित करते हुए बनवाना सुनिश्चित करेंगे तथा अगली बैठक के पूर्व इसका अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे।



470 VI. प्रखंड स्तरीय आउटडोर स्टेडियम

निदेशक, खेल विभाग द्वारा सभी जिला खेल पदाधिकारियों अधीक्षक/उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, बिहार को मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अन्तर्गत विभिन्न जिलों के प्रखण्डों में निर्मित आउटडोर स्टेडियम को कार्यशील बनाने का निदेश दिया गया है।

जिन प्रखंडों में भूमि के अभाव में/भूमि कम होने के कारण आउटडोर स्टेडियम के निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव अप्राप्त है उन जिलों के जिला खेल पदाधिकारी को पूर्व में निर्धारित मानक के अनुसार अथवा आउटडोर स्टेडियम के निर्माण हेतु संशोधित तीन मानकों के अनुरूप भूमि उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

• जिन प्रखंडों में आउटडोर स्टेडियम के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जा चुका है किन्तु विभिन्न कारणों से निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। उन जिलों के जिला खेल पदाधिकारी को अविलम्ब कार्य करने का निदेश दिया गया।

• प्रखंड स्तरीय आउटडोर स्टेडियम का निर्माण कितने जिले में पूर्ण हो चुका है तथा कितने में निर्माण कार्य अपूर्ण है। इसकी सूची बिहार राज्य भवन निर्माण निगम, पटना से प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

• सभी जिला खेल पदाधिकारी/उपाधीक्षक शा0 शि0 अपने अधीन कम-से-कम -02 प्रखंड स्तरीय आउटडोर स्टेडियम का स्थल निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे। जिसमें खेल प्रशिक्षण प्रारंभ हो सके तथा अगली बैठक में तैयारी के साथ उपस्थित रहने का निदेश दिया गया।

• प्रत्येक जिला में जो प्रखंड स्तरीय स्टेडियम एवं अन्य खेल अवसंरचना बना हुआ है। उसमें से 81 स्टेडियम प्रशिक्षण हेतु अच्छी स्थिति में हो उसकी सूची विभाग द्वारा भेजा गया है। सूची के अवलोकनोपरांत शेष जिला के जिला खेल पदाधिकारी/उपाधीक्षक/अधीक्षक शा0 शि0 (शौचालय, पानी, विद्युत, कमरा एवं बॉन्ड्री) निरीक्षण 15 दिनों के अन्दर करते प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

इस कार्य का अनुश्रवण श्री संजय कुमार, सहायक निदेशक (क्रीड़ा) द्वारा किया जायेगा।



VII. जिला स्तरीय खेल भवन-सह-व्यायामशाला

13 जिलों में खेल भवन-सह-व्यायामशाला के निर्माण के पश्चात बिहार राज्य भवन निर्माण निगम, पटना द्वारा AC, जेनसेट, वाटर प्यूरीफायर एवं आर ओ अधिष्ठापित किया जाना है। साथ ही जिन जगहों पर उपकरण अधिष्ठापित होना है, उसकी जांच कर लिया जाय।

उपर्युक्त के संबंध में खेल भवन-सह-व्यायामशाला कितना शुल्क लिया जा रहा है। इसका उपयोग अच्छे तरीके से उपयोग हो। इस संबंध में संबंधित जिला खेल पदाधिकारी/अधीक्षक/उपाधीक्षक शा० शि० से प्रतिवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

VIII. प्रमंडल स्तरीय खेल अवसंरचनाओं का निर्माण

पटना में प्रमंडलीय स्तरीय खेल अवसंरचना के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण हेतु अद्यतन प्रतिवेदन के संबंध में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना के साथ अगले माह बैठक निर्धारित है।

IX. माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान किये गये घोषणा की अद्यतन स्थिति

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के आलोक में खेल विभाग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खेल अवसंरचना निर्माण हेतु सभी योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। उक्त सभी अवसंरचना निर्माण कार्य में आ रही समस्याओं/कठिनाईयों का शीघ्र निराकरण कराया जाय। साथ ही अवसंरचना निर्माण कार्य का अनुश्रवण किया जाय।

X. अनुपस्थिति

विभागीय कार्यों की समीक्षा हेतु प्रत्येक सप्ताह में एक दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है। बैठक में बिना किसी अधिकृत कारण के अनुपस्थित जिला खेल पदाधिकारी/अधीक्षक/उपाधीक्षक शा० शि० से

468
स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया है। साथ ही सभी पदाधिकारियों को यह भी निदेशित किया गया कि भविष्य में होने वाले किसी भी बैठक में अनुपस्थित रहने हेतु जिला पदाधिकारी के माध्यम से सूचना भेजने के उपरांत ही बैठक से अनुपस्थित रहेंगे। अन्यथा कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

XI. सुझाव

संयुक्त सचिव, खेल विभाग द्वारा सभी खेल पदाधिकारी/उपाधीक्षक शा0 शि0 को स्थापना संबंधित आवंटित राशि से संबंधित प्रस्ताव ग्रुप में भेजने का निदेश दिया गया है।

सभी अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी उपरोक्त समस्याओं का ससमय निराकरण करेंगे। उपरोक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस में सभी अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी निश्चित रूप से सम्मिलित होना सुनिश्चित करेंगे।

30/04/24
(संयुक्त सचिव)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक—1650.

पटना, दिनांक 30/04/2024

प्रतिलिपि:— निदेशक, खेल विभाग के आशुलिपिक/महाप्रबंधक, परियोजना, बि0रा0भ0नि0लि0, पटना/ संयुक्त सचिव, खेल विभाग /परियोजना प्रबंधक, बि0रा0भ0नि0लि0, पटना/सहायक निदेशक (क्रीड़ा/युवा/योजना)/अवर सचिव (संबंधित प्रशाखा— 04&05)/संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर/सभी जिला खेल पदाधिकारी/अधीक्षक शा0 शिक्षा/उपाधीक्षक शा0 शिक्षा, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/4/24

30/04/24
संयुक्त सचिव।